

छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउन्सिल
पुराना नर्सिंग हास्टल, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
रायपुर, छत्तीसगढ़



क्रमांक/रजि० नर्सिंग का०/2018/५२५-१

रायपुर, दिनांक 16/04/2018

प्रति,

समस्त
निजी, एवं शासकीय
ए.एन.एम. प्रशिक्षण संस्थान छत्तीसगढ़

विषय:- छ.ग. नर्सिंग रजिस्ट्रेशन द्वारा आयोजित 29 वीं काउन्सिल परीक्षा के ए.एन.एम. पुनर्मूल्यांकन (Re-Evaluation) की सूचना बाबत।

छ.ग. नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउन्सिल द्वारा 29 वीं काउन्सिल परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। छ.ग. नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउन्सिल में पुनर्मूल्यांकन (Re-Evaluation) हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 25/04/2018 है।

पुनर्मूल्यांकन आवेदन – पत्र संबंधी प्रक्रिया के निर्देश निम्न हैं :-

- (1). परीक्षार्थी काउन्सिल द्वारा पुनर्मूल्यांकन हेतु निर्धारित नियमों व निर्देशों का समुचित अध्ययन करने के उपरांत नियमों के अधीन पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करे।
- (2). छात्र अपना आवेदन पत्र अपने संस्था के प्रचार्य के माध्यम से काउन्सिल में स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते हैं। पंजीकृत डाक द्वारा आवेदन इस पते पर भेजे।

प्रति,

रजिस्ट्रार
छ.ग. नर्सिंग रजि. काउन्सिल रायपुर
पुराना नर्सिंग हास्टल डी.के.एस. परिसर, रायपुर

(लिफाफे पर मोटे अक्षरों में पुनर्मूल्यांकन (Re-Evaluation) आवश्यक अंकित करे)

- (3) आवेदन पत्र सोच समझकर सही सही भरा जावे। आवेदन पत्र के किसी भी प्रकार का सुधार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (4) पुनर्मूल्यांकन शुल्क 200 रु. प्रति विषय व फार्म शुल्क 50/- प्रति फार्म आवेदक को ऑनलाईन पेमेंट मोड से (Online Payment Mode) स्वीकार्य होगा।
- (5) आवेदक को अधिकतम दो विषयों में ही पुनर्मूल्यांकन ही पात्रता होगी।
- (6) अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। भुगतान केवल Online Payment Mode द्वारा ही मान्य होगा।

- (7) पुर्नमूल्यांकन हेतु अंकसूची/टी.आर.शीट. की प्रतिलिपि लगाना अनिवार्य है।
- (8) ए.एन.एम. परीक्षाओं के परिणाम पश्चात् नियमित छात्र के रूप में सम्मिलित छात्र निम्नानुसार पुर्नमूल्यांकन करवाने के पात्र होंगे।
- अ. ए.एन.एम. प्रथम वर्ष के नियमित छात्र जो दो विषय में उत्तीर्ण हो व शेष विषयो के सैद्धांतिक प्राप्तांक में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त किये हो (27 अंक)।
- ब. ए.एन.एम. द्वितीय वर्ष के नियमित छात्र जो एक विषय में उत्तीर्ण हो व शेष विषयो के सैद्धांतिक प्राप्तांक में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त किये हो (27 अंक)।
- उक्त पुर्नमूल्यांकन प्रायोगिक (Practical) व आंतरिक (Internal) प्राप्तांक पर लागू नहीं होगा।
- (9) पुर्नमूल्यांकन हेतु आवेदन पत्र निम्नलिखित नियमों के आधार पर पात्रतानुसार स्वीकार्य नहीं किया जावेगा।
- अ. पूरक/ए.टी.के.टी की हैसियत से सम्मिलित द्वितीय परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं के पुर्नमूल्यांकन हेतु आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जावेगे।
- ब. प्रायोगिक परीक्षाओं व आंतरीक मूल्यांकन में
- (10). परीक्षार्थियों को पुर्नमूल्यांकन परिणाम की सूचना/जानकारी संबधित संस्था के माध्यम से स्वतः लेनी होगी।
- (11). परीक्षार्थियों को पुर्नमूल्यांकन परिणाम घोषित होने के एक माह के अंदर संबधित परीक्षा (यदि उनके परिणाम घोषित नहीं हुए हो तो) काउन्सिल को अवगत कराना आवश्यक है, ताकि इस संबध कार्यवाही किया जा सके।
- (12). पुर्नमूल्यांकन के पश्चात यदि छात्र मूल प्राप्तांक से कम या अधिक अंक प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति मे कम यो अधिक प्राप्त अंको को बराबर उसके प्राप्तांक माने जायेगें।
- (13). पुर्नमूल्यांकन के लिए छात्रो द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र जमा किये गये तो काउन्सिल को पूर्ण अधिकार है कि एक ही आवेदन पर विचार किया जायेगा।

Prakash
16/04/18

रजिस्ट्रार
छ.ग. नर्संस रजि. काउन्सिल
रायपुर, छ.ग.

क्रमांक/रजि० नर्सिंग का०/2017/
प्रतिलिपी :-

रायपुर, दिनांक / /2017

1. अध्यक्ष, छ.ग. नर्संस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. वेबसाईट प्रति।

[Signature]
रजिस्ट्रार
छ.ग. नर्संस रजि. काउन्सिल
रायपुर, छ.ग.